न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 30/2020

1. श्रीमती नाथी पत्नी श्री रंगलाल जाति भांबी निवासी ग्राम शिवपुरी की ढाणी, आखरिया की ढाणी, तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
2. रंगलाल पुत्र श्री रामा जाति भांबी निवासी ग्राम शिवपुरी की ढाणी, आखरिया की ढाणी, तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।

————प्रार्थीगण

ब ना म

1. कल्याण पुत्र श्री रामा जाति भांबी निवासी ग्राम शिवपुरी की ढाणी, आखरिया की ढाणी, तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार महोदय, मसूदा तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक: 10.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा शिवपुरी पटवार क्षेत्र शिवपुरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नन्दवाडा, तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 1068/266 रकबा 0.3236 हैक्टयर बारानी 3 ,भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khathawalia
Date: 2021.04.05 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण [illegible] रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। [illegible] करने पर जवाब हंक बन्द किये गये ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

................लगातार

श्रीमती नाथी बनाम कल्याण व अन्य
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2020

बाद अवलोकन पाया कि मौजा शिवपुरी पटवार क्षेत्र शिवपुरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नन्दवाडा, तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 1068/266 रकबा 0.3236 हैक्टयर बारानी 3, भूमियां प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा शिवपुरी पटवार क्षेत्र शिवपुरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नन्दवाडा, तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 1068/266 रकबा 0.3236 हैक्टयर बारानी 3, भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested